

(5)

(10)

भाग- IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है)

17.

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राज्य और विशेष सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियाँ दी जानी चाहिए)।

Recommended for Approval

Be 2812

सुरक्षित

मुख्य वन अधिकारी
वन (सं. 1) 1980

तारीख :

नाम एवं पदनाम

स्थान :- लखनऊ

सरकारी मोहर